ब अदालत श्री चाँद राम कश्यप, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)

मुकद्दमा नं० : 61/2025 तारीख मरजुआ : 16—08—2025 तारीख पेशी : 25—03—2026

1. श्री देवन्दर कुमार पुत्र निका राम, गांव शेरपुर, डाकघर धनागु धाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि०प्र० . . प्रार्थी।

बनाम

1. मिताक्षी पुत्री सन्त राम, निवासी तहसील हंगरंग किन्नौर, जिला किन्नौर, हि०प्र०, 2. अक्षिता पुत्री सन्त राम, निवासी, तहसील हंगरंग किन्नौर, जिला किन्नौर, हि०प्र०, 3. हरिश पुत्र सन्त राम, निवासी, तहसील हंगरंग किन्नौर, हि०प्र०, 4. श्रीमती उषा पत्नी भीमी राम, निवासी शाकरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि०प्र०, 5. भीमी राम पुत्री धनी राम, निवासी गांव शाकरा, तहसील करसोग, जिला मण्डी, हि०प्र०, 6. श्रीमती सन्तु विध्वा दतिया, निवासी मौजा शीलगांव, तहसील व जिला शिमला, हि०प्र०, 7. श्रीमती विमला विध्वा संगतितिया, निवासी मौजा शीलगांव, तहसील व जिला शिमला, हि०प्र०, 8. संतोख सिंह पुत्र संगतिया, निवासी मौजा शीलगांव, तहसील व जिला शिमला, हि०प्र०, 9. राम लाल पुत्र दतिया, निवासी मौजा शीलगांव, तहसील व जिला शिमला, हि०प्र०, 10. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कसुम्पटी, तहसील व जिला शिमला, हि०प्र०।

1. श्री देवन्दर कुमार पुत्र निका राम, गांव शेरपुर, डाकघर धनागं धाट, तहसील अर्की, जिला सोलन हि०प्र० ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तगर्त भू—विभाजन हेतू अराजी खाता/खतौनी नं० 41/66, खसरा नम्बर 12, 17, 42, 58, 77, 80, 637, 640 वाका महाल शिलगांव, तहसील शिमला, ग्रामीण जिल शिमला, हि०प्र० बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गए परन्तु प्रतिवादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामील कुनिदा के कारण समन तामील न हो सके। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ कर उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहे हैं।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं० 1 ता 10 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू—विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 25—03—2026 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26—02—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

———————

ब अदालत श्री अनिल कुमार, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती प्यारी देवी पुत्री बालक राम, निवासी गांव ऑडी, डाकघर सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि०प्र०।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।

श्रीमती प्यारी देवी पुत्री बालक राम, निवासी गांव ऑडी, डाकघर सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0 ने प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 06—12—1967 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अब प्रार्थिया ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) परिवार नकल, स्कूल प्रमाण—पत्र व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसका जन्म पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण से सम्बंधित ग्राम के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 12—03—2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में ग्राम पंचायत टिप्पर मझोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11—02—2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(अनिल कुमार),
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————